जसवंत सिंह और संत प्रकाश के सामने , जे. जे.

डॉ. बालविंदर कुमार शर्मा-याचिकाकर्ता

बनाम

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से, और एक और-

प्रतिवादी

2021 का सीडब्ल्यूपी **No.7539**

28 मई, 2021

भारत का संविधान, **1950**-अनुच्छेद **226**-आपराधिक मुकदमे के समापन तक विभागीय जांच पर रोक-याचिकाकर्ता, जिसे उच्च न्यायालय में पंजीयक (भर्ती) के रूप में तैनात किया गया था, के खिलाफ प्रश्न पत्र के लीक होने के आरोप को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने में भर्ती समिति की सहायता करने का कर्तव्य सौंपा गया था और **16.07.2017** पर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था-आपराधिक मामले के निपटारे में आपराधिक न्यायालय द्वारा अत्यधिक देरी-प्राथमिकी वर्ष **2017** की है, चालान वर्ष **2019** में प्रस्तुत किया गया है और जनवरी **2020** में आरोपित किया गया है-आयोजित किया जा सकता है, जहां आपराधिक मामले के निपटारे में देरी होती है, विभागीय कार्यवाही की जा सकती है, ताकि जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके-यदि अंततः कर्मचारी आपराधिक मुकदमे में दोषी नहीं पाया जाता है, तो उसका सम्मान सही साबित हो सकता है और यदि वह दोषी पाया जाता है, तो नियोक्ता का निर्णय समर्थन लिया जाएगा अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से उसे जल्द से जल्द छुटकारा दिलाया जाए -इसलिए निष्कर्ष तक एफआईआर में आपराधिक मुकदमे की निष्कर्ष तक विभागीय जांच पर रोक नहीं है ।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को एक वर्ष के भीतर परीक्षण का निर्णय लेने का निर्देश दिया और प्रतिवादी को शीघ्र निपटान के लिए परीक्षण न्यायालय को पूरा सहयोग देना था और यदि परीक्षण एक वर्ष के

भीतर पूरा नहीं होता है, तो प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जांच अधिकारी द्वारा फिर से शुरू की जाएगी। वर्तमान मामले में पक्षों के बीच ऐसा कोई ज्ञापन मौजूद होने का अनुरोध नहीं किया गया है।

(पैरा 25)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि इसी प्रकार स्टेनजेन मामले (उपर्युक्त) का निर्णय भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अनुशासनात्मक और विभागीय कार्यवाही एक साथ करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है, हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नीचे दिए गए तीनों न्यायालयों ने मामले में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग किया, इसलिए मुकदमे के शीघ्र समापन के लिए निर्देश जारी किए गए।

(पैरा 26)

रमेश कुमार बमाल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।

कंवलजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, इनके द्वारा सहायता अजयवीर सिंह, अधिवक्ता प्राप्त प्रत्यर्थी के लिए-उच्च न्यायालय, चंडीगढ़।

जसवंत सिंह**,** जे।

(1) याचिकाकर्ता-डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा ने तत्काल रिट याचिका दायर की है जिसमें दिनांक 06.11.2019 (अनुलग्नक पी-9) के आदेश/सूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 28.09.2018 (अनुलग्नक पी-8) में पी. एस. 03-उत्तर, चंडीगढ़ (अनुलग्नक पी-1) में पंजीकृत प्रथम सूचना प्राप्ति संख्या 194 दिनांक 19.09.2017 में आपराधिक मुकदमे के समापन तक विभागीय जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है, जिसे खारिज कर दिया गया है।

तथ्यः

(2) हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा राज्य में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन संख्या 6/2016 अधिसूचित किया गया था

(जिसे आम तौर पर एचसीएस (न्यायिक) परीक्षा कहा जाता है)। याचिकाकर्ता, जिसे प्रतिवादी संख्या 1-उच्च न्यायालय की स्थापना पर पंजीकृत (भर्ती) के रूप में तैनात किया गया था, को प्रारंभिक परीक्षा के संचालन में भर्ती समिति की सहायता करने का कर्तव्य सौंपा गया था। 16.07.2017 पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1-उच्च न्यायालय को 20.07.2017 पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 16.07.2017 पर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था और परीक्षा को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई थी।

(3) इस मामले को न्यायिक पक्ष में सी.आर.पी.सी की खंड 482 के तहत एक याचिका के रूप में लिया गया था जिसे 2017 के CRM-M-संख्या 28947 के माध्यम से दायर किया गया था। जिसका शीर्षक सुमन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। उक्त में याचिका में यह निर्देश दिया गया था कि वर्तमान याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ एक प्रथम सूचना प्राप्ति दर्ज की जाए और एचसीएस (न्यायिक) प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने से संबंधित जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए। नतीजतन, प्रथम सूचना प्राप्ति संख्या 194 दिनांक 19.09.2017 (पी-1) दर्ज की गई।

(4) प्रथम सूचना प्राप्ति दर्ज होने के बाद एस. आई. टी. द्वारा जांच की गई और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत चालान चंडीगढ़ की विशेष अदालत के समक्ष पर प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक पी -2).इसके साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2-सतर्कता पंजीयक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सांविधिक नियमों के अनुसार आरोप के लेख दिनांक 15.09.2018 और आरोप पत्र (अनुलग्नक पी-5), दस्तावेजों की सूची (अनुलग्नक पी-6) और गवाहों की सूची (अनुलग्नक पी-7) के साथ एक ज्ञापन सौंपा। याचिकाकर्ता को उक्त ज्ञापन का जवाब देने के लिए पंद्रह (15) दिनों का समय दिया गया था। उसी का जवाब देने के बजाय, याचिकाकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हुए एक लिखित आवेदन दिनांक 28.09.2019 दिया कि आपराधिक कार्यवाही के निर्णय तक 15.09.2018 के ज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई जाए क्योंकि चालान पहले से ही आपराधिक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उक्त आवेदन/अनुरोध विचाराधीनता रहने के दौरान, आदेश दिनांक 31.01.2020 (अनुलग्नक पी-11) के माध्यम से आरोप भी तय किए गए हैं।

(5) उपरोक्त आवेदन दिनांक 28.09.2018 (P-8) को दिनांक 06.11.2019 (P-9) के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किया गया है।

याचिकाकर्ता के लिए सलाहकार के तर्कः

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित तर्क दिए हैंः-

आपराधिक न्यायालय द्वारा बनाए गए आरोपों और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी ज्ञापन के एक अवलोकन से पता चलेगा कि दोनों तथ्यों के एक ही सेट के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित हैं और इसलिए दोनों एक साथ जारी नहीं रह सकते हैं क्योंकि यदि विभागीय जांच जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो याचिकाकर्ता का बचाव आपराधिक मुकदमे में पूर्वाग्रहपूर्ण होगा। इस संबंध में भरोसा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कैप्टन.एम पॉल एंथनी बनाम भरत गोल्ड माइंस लिमिटेड में पर लगाए गए आरोप और विभागीय जांच में तथ्य और आपराधिक मुकदमे का आधार पर रखा गया है। आरोप लगे और तथ्य सामने विभागीय जांच और आपराधिक आधार बनने वाले साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ-साथ गवाह भी समान हैं।

- तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हैं, और इसलिए, वे विभागीय जांच के सीमित दायरे से परे हैं, प्रकृति में संक्षिप्त होने के कारण;

- वैकल्पिक रूप से, यदि आपराधिक मामले के निर्णय तक विभागीय जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, तो सुनवाई और जांच दोनों के लिए समान गवाहों की जांच तक, विभागीय जांच प्रास्थगन रखा जाए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्टैनज़ेन टोयोटेत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम गिरीश वी. और अन्य **(2014) 3** उच्चतम न्यायालय के मामले **636** और भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम नीलम नाग और एक अन्य **(2016) 9** उच्चतम न्यायालय के मामले **491** पर भरोसा रखा गया है ।

(7) हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और पेपर-बुक की जांच की है।

(8) रिट याचिका की दलीलों के साथ-साथ हमारे सामने उठाई गई दलीलों से हम देखते हैं कि हमारे सामने यह तय करने के लिए एकमात्र सवाल उठता है कि क्या विभागीय कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि आरोप निचली निचली अदालत द्वारा बनाए गए हैं या नहीं?

मामला कानून पर चर्चा

(9) इस मुद्दे पर कुछ प्रमुख निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है ताकि हमारे सामने उठाए गए मुद्दे का जवाब दिया जा सके। सबसे पहले इस मुद्दे पर निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा कैप्टन एम. पॉल एंथोनी (सुप्रा) का है , इसमें शामिल पूरे कानून पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा था:

> "ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, वे हैं:
>
> (i) आपराधिक मामले में विभागीय कार्यवाही और कार्यवाही एक साथ आगे बढ़ सकती है क्योंकि उनके एक साथ संचालित होने पर कोई रोक नहीं है, हालांकि अलग से।
>
> (ii) यदि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला समान और समान तथ्यों पर आधारित हैं और अपचारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप गंभीर प्रकृति का है जिसमें कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हैं, तो आपराधिक मामले के समापन तक विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाना वांछनीय होगा।
>
> (iii) क्या किसी आपराधिक मामले में आरोप की प्रकृति गंभीर है और क्या उस मामले में तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हैं, यह अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा कर्मचारी जांच के दौरान उसके खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर या जैसा कि आरोप पत्र में परिलक्षित होता है।
>
> (iv) उपरोक्त (ii) और (iii) में उल्लिखित कारकों पर विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अलग से विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तथ्य पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभागीय कार्यवाही में अनुचित देरी नहीं की जा सकती है।

(v) यदि आपराधिक मामला आगे नहीं बढ़ता है या इसके निपटारे में अनुचित देरी हो रही है, तो विभागीय कार्यवाही, भले ही आपराधिक मामले विचाराधीनता होने के कारण उन पर रोक लगा दी गई हो, फिर से शुरू की जा सकती है और उन्हें जल्द से जल्द समाप्त किया जा सकता है, ताकि यदि कर्मचारी दोषी नहीं पाया जाता है तो उसका सम्मान सही साबित हो सके और यदि वह दोषी पाया जाता है, तो प्रशासन उसे जल्द से जल्द छुटकारा पा सके।

(10) इसके बाद पारित निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2004 2004 की सिविल अपील सं 5121 में, शीर्षक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम आर. बी.शर्मा का संदर्भ दिया जा सकता है। अपीलकर्ता-भारतीय स्टेट बैंक ने उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी कि कर्मचारी आपराधिक मुकदमे में देरी कर रहा था और वह आपराधिक मामले के लंबे समय तक विचाराधीनता रहने का अनुचित लाभ उठा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील की अनुमति दी और मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया क्योंकि उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में देरी के प्रभाव के साथ-साथ में जारी निर्देशों कैप. एम. पॉल एंथनी (सुप्रा) का मामला पर विचार किए बिना विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

(11) इसी प्रभाव के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक और निर्णय है 2004 की सिविल अपील सं 7980 में न्यायालय ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सर्वेश बेरी के रूप में शीर्षक से 09.12.2004 पर निर्णय लिया, जिससे नियोक्ता द्वारा दायर अपील को अनुमति देते समय, यह तथ्यों पर अभिनिर्धारित किया गया था कि विभागीय कार्यवाही वास्तव में जारी रह सकती है क्योंकि आपराधिक न्यायालय विभिन्न संहिताओं के तहत दंडनीय अपराध की दोषीता से संबंधित है, जबकि विभागीय कार्यवाही केवल दुराचार या कर्तव्य के भंग से संबंधित है जैसा कि प्रासंगिक सेवा नियम के तहत परिभाषित किया गया है और इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की प्रयोज्यता को बाहर रखा गया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 9 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"9. विभागीय जांच और अभियोजन का उद्देश्य दो अलग और अलग पहलू हैं। आपराधिक अभियोजन अपराधी द्वारा समाज के प्रति कर्तव्य के भंग के अपराध के लिए शुरू किया जाता है, या जिसके भंग के लिए कानून में प्रावधान किया गया है कि अपराधी जनता को संतुष्ट करेगा। अतः अपराध कानून के उल्लंघन या सार्वजनिक कर्तव्य को छोड़ने का कार्य है। विभागीय जांच सार्वजनिक सेवा की सेवा और दक्षता में अनुशासन बनाए रखने के लिए है। इसलिए, यह समीचीन होगा कि

अनुशासनात्मक कार्यवाही का संचालन किया जाए और जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा किया जाए। इसलिए, किसी भी दिशानिर्देश को लचीले नियमों के रूप में निर्धारित करना वांछनीय नहीं है जिसमें विभागीय कार्यवाही को अपचारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामले में मुकदमे के लंबित रहने तक रोक दिया जा सकता है या नहीं। प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में विचार करने की आवश्यकता है। विभागीय जांच और आपराधिक मामले के मुकदमे के साथ-साथ आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी जब तक कि आपराधिक मुकदमे में आरोप गंभीर प्रकृति का न हो जिसमें तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हों। अपराध का तात्पर्य आम तौर पर सार्वजनिक कर्तव्य का उल्लंघन है, जैसा कि आपराधिक कानून के तहत दंडनीय केवल निजी अधिकारों से अलग है। जब आपराधिक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') के प्रावधानों के तहत परिभाषित साक्ष्य के अनुसार अपराध के प्रमाण के अनुसार होना चाहिए। कन्वर्स विभागीय जाँच का मामला है।विभागीय कार्यवाही में जाँच संबंधित वैधानिक नियमों या कानून के तहत परिभाषित अपने कदाचार के लिए दंडित करने के लिए अपचारी अधिकारी के आचरण या कर्तव्य के भंग से संबंधित है। यह कि साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण या प्रयोज्यता के सख्त मानक को बाहर रखा गया है, एक तय कानूनी स्थिति है। इन परिस्थितियों में, यह देखने की आवश्यकता है कि क्या विभागीय जांच किसी आपराधिक मामले में मुकदमे में अपचारी के बचाव में गंभीर रूप से पूर्वाग्रह पैदा करेगी। प्रत्येक मामले में अपने स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार करना हमेशा तथ्य का प्रश्न होता है।"

(12) इस उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ संख्या **2006** सी**.** डब्ल्यू**.** पी**.** सं**. 9999** में **, 28.10.2006** पर निर्णय लिया गया**,** जिसका शीर्षक था **"**प्रेम सिंह बनाम राज्य हरियाणा और अन्य ने कहा कि याचिकाकर्ता अनुशासित बल का सदस्य था और उस पर 30,000 रुपये की अवैध संतुष्टि की मांग करने का आरोप लगाया गया था। खण्ड पीठ ने कैप्टन एम. पॉल एंथोनी के मामले (सुप्रा) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विभागीय कार्यवाही को निष्कर्ष तक आपराधिक मुकदमे के समापन तक कार्यवाही को अंतहीन प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें अपना समय लग सकता है और यह प्रतिवादी-विभाग के हित में नहीं होगा कि याचिकाकर्ता जैसा व्यक्ति, जिस पर गंभीर दुराचार का आरोप है, सेवा में बना रहे। इन टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

(13) आगे 2007 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6155 में, वेद प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[1], के रूप में 21.08.2007 पर निर्णय लिया गया , इस न्यायालय की खण्ड पीठ पुलिस स्टेशन राज्य सतर्कता ब्यूरो, अंबाला शहर में पंजीकृत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7/13 के तहत प्रथम सूचना पंजीकरण संख्या 58 दिनांक 22.09.2006 में आपराधिक मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान आरोप-पत्र को रद्द करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाले एक पूर्व मुख्य कांस्टेबल के मामले पर विचार कर रही थी। उसमें याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। खण्ड पीठ ने कैप्टन एम. पॉल एंथनी (उपरोक्त) के फैसले को संदर्भित करते हुए कहा। के मामले (उपरोक्त) में कहा गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पर निश्चित रूप से रोक नहीं लगाई जानी चाहिए और रिट याचिका को खारिज कर दिया गया।

(14) स्टेनजेन टूयोटेत्सु इंडिया पी. लिमिटेड बनाम गिरीश वी. और अन्य [2] में वही प्रस्ताव है जो कैप्टन एम. पॉल एंथनी (सुप्रा) के मामले में रखा गया था। को उस विभाग में एक मामूली जोड़ के साथ दोहराया गया कि आपराधिक मुकदमे में आपराधिक और विभागीय कार्यवाही के सामान्य गवाहों की जांच होने तक विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।

(15) इस प्रकार, हमारे विचार से, ऊपर उल्लिखित सभी निर्णयों का सार एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि विभागीय कार्यवाही पर रोक की मंजूरी या अस्वीकृति हमेशा मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी, क्योंकि कोई सीधा सूत्र नहीं हो सकता है।

तथ्यों पर चर्चाः

(16) वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, निचली अदालत द्वारा बनाए गए आरोपों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए आरोप के लेखों को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा। आपराधिक मुकदमे में बनाए गए आरोपों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> " मैं, डॉ. गगन गीत कौर, विशेष न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़, एतद्द्वारा आप सभी अभियुक्त व्यक्तियों पर निम्नानुसार आरोप लगाती हूँः- कि आपने वर्ष 2017-18 के दौरान बलविंदर कुमार शर्मा, सुनीता, सुशीला, तेजिंदर बिश्नोई, आयुषी, सुनील कुमार उर्फ टीटू, कुलदीप सिंह, सुभाष गोदारा और सुशील बधू ने गैरकानूनी तरीकों से एक अवैध कार्य करने के लिए आपराधिक साजिश रची, यानी आपने बी. के. शर्मा पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पंजीयक (भर्ती) होने के नाते हरियाणा सिविल सेवा, न्यायिक (प्रारंभिक) से संबंधित प्रश्न पत्र का

संरक्षक होने का आरोप लगाया, जो 16.7.2017 पर आयोजित किया जाना था, लेकिन आपने आरोप लगाया कि बी. के. शर्मा ने उक्त प्रश्न पत्र को सह-आरोपी सुनीता (भावी उम्मीदवार) को उसकी नियत तारीख से पहले लीक कर दिया, जिसने आगे उक्त प्रश्न पत्र को सह-आरोपी सुशीला (भावी उम्मीदवार) को लीक कर दिया और सुमन (शिकायतकर्ता) को उक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र खरीदने के लिए लुभाया। सेक्टर-17, चंडीगढ़ में डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से पेपर को सह-आरोपी तेजिंदर बिश्नोई (संभावित उम्मीदवार) को आयुषी (सुनीता की रूम-मेट), सुभाष गोदारा (आयुषी के पिता), सुशील बधू (आयुषी के मामा) और सुनील उर्फ टीटू द्वारा से बेच दिया गया और सभी आरोपी व्यक्तियों को राधा कृष्ण मंदिर, सेक्टर 8, चंडीगढ़ में प्रश्न पत्र लीक करने के लिए आवास प्रदान किया गया और आपने सुनील उर्फ टीटू और कुलदीप सिंह (आरोपी सुनीता के सौतेले भाई) पर साजिश के अनुसरण में सुनीता और आयुषी के कमरों से कागजात की आपत्तिजनक सामग्री को हटाने/नष्ट करने का आरोप लगाया और इस तरह आप सभी ने भा.दं.सं. सी. की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध किया।

दूसरा यह कि उपरोक्त अवधि और स्थान पर, आपने आरोपी बलविंदर कुमार शर्मा पर लोक सेवक के रूप में पंजीयक (भर्ती) होने का आरोप लगाते हुए हरियाणा सिविल सेवा, न्यायिक (प्रारंभिक) के प्रश्न पत्र को सौंपा गया था जो 16/07/2017 पर आयोजित किया जाना था और आपने उपरोक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में प्रश्न पत्र को लीक कर दिया और इस तरह सौंपे गए प्रश्न पत्र के संबंध में आपराधिक भंग किया और इस तरह आपने भा.दं.सं. सी. की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध किया और आप सभी उपरोक्त नामित अभियुक्त व्यक्तियों ने भा.दं.सं. सी. की धारा 409 आर/डब्ल्यू 120-बी के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

तीसरा यह कि उपरोक्त अवधि और स्थान पर, आपने आरोपी बलविंदर कुमार शर्मा पंजीयक (भर्ती) पर लोक सेवक के रूप में हरियाणा सिविल सेवा, न्यायिक (प्रारंभिक) का प्रश्न पत्र सौंपा गया था जो16/07/2017 पर आयोजित किया जाना था और आपने उपरोक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में प्रश्न पत्र को लीक कर दिया, जिससे शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपये की राशि के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। माननीया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और उक्त परीक्षा के अन्य उम्मीदवारों के साथ धोखा किया और इस तरह आपने भा.दं.सं. सी. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया और आप सभी अन्य उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने

भा.दं.सं. सी. की धारा 409 आर/डब्ल्यू 120-बी के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

चौथा यह कि उपरोक्त अवधि और स्थान पर आपने आरोपी सुनीता पर भ्रष्ट और अवैध तरीकों से प्रभावित होकर बलविंदर कुमार शर्मा पंजीयक (भर्ती) पर लोक सेवक के रूप में होने का आरोप लगाया, जिन्हें हरियाणा सिविल सेवा, न्यायिक (प्रारंभिक) का प्रश्न पत्र सौंपा गया था। जो16/07/2017 पर आयोजित किया जाना था।और प्रश्न पत्र लीक कर दिया उपरोक्त अपराधी के अनुसरण लीक हुए प्रश्न पत्र को उपलब्ध कराने के लिए के लिए 1.5 करोड़ रु एडवांस दिया, साथ ही माननीया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और उक्त परीक्षा के अन्य उम्मीदवारों के साथ धोखा किया और इस तरह आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध किया और आप सभी अन्य नामित अभियुक्त व्यक्तियों ने भा.दं.सं. सी. 1988 आर/डब्ल्यू 120-बी के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

पाँचवाँ यह कि उपरोक्त अवधि और स्थान पर, आपने आरोपी सुनीता पर व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके अभियुक्त बलविंदर कुमार शर्मा पंजीयक (भर्ती) को लोक सेवक के रूप में होने के नाते, जिसे हरियाणा सिविल सेवा, न्यायिक (प्रारंभिक) का प्रश्न पत्र सौंपा गया था, जिसे 16/07/2017 पर आयोजित किया जाना था और उपरोक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपये की राशि के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही माननीया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और उक्त परीक्षा के अन्य उम्मीदवारों के साथ धोखा किया और इस तरह आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 9 के तहत दंडनीय अपराध किया और आप सभी ने उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने भा.दं.सं. सी. के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 आर/डब्ल्यू 120-बी की धारा 9 के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

छठा यह कि उपरोक्त अवधि और स्थान पर, आपने आरोपी बलविंदर कुमार शर्मा पंजीयक (भर्ती) पर लोक सेवक के रूप में होने का आरोप लगाते हुए हरियाणा सिविल सेवा, न्यायिक (प्रारंभिक) के प्रश्न पत्र को सौंपा गया था जो 16/07/2017 पर आयोजित किया जाना था और आपने उपरोक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में प्रश्न पत्र को लीक कर दिया आपराधिक दुराचार किया और इस तरह आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 (1) (डी), 1988 की खंड 13

(2) ,के तहत दंडनीय अपराध किया और आप सभी उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 (1) (डी), 1988 की खंड 13 (2) , 1988 आर/डब्ल्यू 120-बी की धारा के तहत दंडनीय अपराध किया। और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

अंततः वर्ष 2017-2018 के दौरान चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली में आपने आरोपी सुनील उर्फ टीटू और आरोपी कुलदिप सिंह (सुनीता के सौतेले भाई), सुनीता, सुशीला और आयुषी पर आरोप लगाया और उपरोक्त साजिश के अनुसरण में यह जानते हुए कि कागज के रिसाव से संबंधित अपराध किया गया है और आपत्तिजनक सामग्री, उक्त अपराध से जुड़े दस्तावेजों को सुनीता और आयुषी के कमरों से हटा दिया गया/नष्ट कर दिया गया, और आपने आरोप लगाया कि आरोपी सुशीला ने आपका मोबाइल फोन तोड़ दिया और आपने आरोपी सुनील उर्फ टीटू पर राधा कृष्ण मंदिर, सेक्टर 18, चंडीगढ़ में आवास से संबंधित रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया ताकि आपके और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ सबूत सामने न आ सकें जो अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से साजिश का हिस्सा थे। जैसे ऊपर उल्लेख किया गया है, और इस प्रकार, आपने आरोपी सुनील उर्फ टीटू पर आरोप लगाया और आरोपी कुलदीप सिंह (सुनीता का सौतेला भाई),सुनीता, सुशीला और आयुषी ने अपराध किया जबकि अन्य आरोपी व्यक्ति आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय हैंआईपीसी की धारा 201 आर/डब्ल्यू 120-बी के तहत दंडनीय अपराध किया। और मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त अपराधों के लिए इस न्यायालय द्वारा आप पर मुकदमा चलाया जाए।"

(जोर दिया गया**)**

(17) इसी तरह, दिनांकित 15.09.2018 ज्ञापन के साथ संलग्न आरोप के अनुच्छेदों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

" आप, डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, रूपनगर में मुख्यालय के साथ निलंबन के तहत आप पर निम्नानुसार आरोप लगाए गए हैंः-

(1) जब आप पंजीयक (भर्ती) के रूप में तैनात थे, तब हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) की प्रारंभिक परीक्षा 16.07.2017 पर आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र आपकी अभिरक्षा में रह गया था, लीक हो गया था जिसके कारण कुछ उम्मीदवार सहित सुश्री सुनीता डी/ओ श्री रंजीत सिंह निवासी आर. जेड. पी.

29 न्यू रोशनपुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली सहित ने अनुचित लाभ उठाया। सुश्री सुनीता आपके लगातार संपर्क में थीं और आपके अनुचित समर्थन के कारण, वह असाधारण रूप से उच्च अंकों के साथ सामान्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहीं। पंजीयक (भर्ती) होने के नाते, यह आपका दायित्व था कि आप ईमानदारी से और कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करें। उपरोक्त सुश्री सुनीता डी/ओ श्री रंजीत सिंह,को अवैध अनुग्रह प्रदान करके। आप ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहे हैं जिससे एक न्यायिक अधिकारी का आचरण अशोभनीय हो गया है।

(2) श्री मनोज कुमार द्वारा दिनांकित 19.07.2017 और 20.07.2017 की शिकायतों की प्राप्ति पर। श्री मनोज कुमार ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा-2017 के लिए प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया, इस मामले में एक तथ्य खोज जांच की गई जिसमें आपने सुश्री सुनीता डी/ओ श्री रंजीत सिंह के साथ किसी भी परिचित होने से इनकार किया। इन तथ्यों के विपरीत कि कॉल विवरण के अनुसार आपने पिछले एक वर्ष के दौरान सुश्री सुनीता के साथ 760 कॉल/एस. एम. एस. का आदान-प्रदान किया था। इस प्रकार तुमने दमन किया था अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अधिकारियों से तथ्यकार्रवाई और इस प्रकार आप अत्यधिक ईमानदारी बनाए रखने में विफल रहे,सत्यनिष्ठा और न्यायिक के लिए अशोभनीय तरीके से कार्य किया अधिकारी.

(3) पुलिस द्वारा जाँच के दौरान, आपके और सुश्री सुनीता डी/ओ रंजीत सिंह,के बीच कॉल विवरण रिकॉर्ड की जाँच से। यह पता चला है कि आप मोबाइल नंबर 7973415192 और 8360753268 का उपयोग कर रहे थे और इन नंबरों पर सुश्री सुनीता के साथ लगभग 1100 कॉल का आदान-प्रदान किया। आपने जानबूझकर इन मोबाइल नंबरों का में इस्तेमाल होने को इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उच्च न्यायालय से आपने छुपाया है। ऐसा करके, आप आत्यन्तिक सत्यनिष्ठा बनाए रखने और न्यायिक अधिकारी के अनुपयुक्त आचरण दिखाने में विफल रहे हैं।

(4) उस सुश्री सुमन ने 2017 का सी. आर. एम.-एम. No.28947 दायर किया जिसका शीर्षक था 'सुमन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' ताकि प्रतिवादी को श्री मनोज कुमार द्वारा दिनांकित 19.07.2017 की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जा सके। एफ. आई. आर. No.194 दिनांक 19.09.2017, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 (2) के साथ पठित खंड 8,9 और 13 (1) (डी) और भारतीय दंड संहिता 1860 की खंड 409,420 और 120-बी के

तहत आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन सेक्टर-03 चंडीगढ़ में दर्ज किया गया था। मामले की जाँच के दौरान, यह पता चला कि आपने सुश्री सुनीता के साथ अंतरंग संबंध विकसित किए थे जो अनैतिक आचरण था और जिससे सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1966, पंजाब का उल्लंघन हुआ था। इस प्रकार, आप न केवल आत्यन्तिक सत्यनिष्ठा बनाए रखने में विफल रहे, बल्कि आपराधिक कार्य भी किए, जनता की नजर में न्यायपालिका की छवि को खराब किया और एक न्यायिक अधिकारी के लिए अनुपयुक्त तरीके से काम किया।"

(18) आपराधिक मुकदमे में बनाए गए आरोपों और विभागीय जांच में याचिकाकर्ता को जारी किए गए आरोप के अनुच्छेदों के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता को समान तथ्यों के आधार पर आपराधिक और विभागीय कार्यवाही दोनों में फंसाया गया है। हालाँकि, हमारी राय में ऐसा होना तय है। जब किसी कर्मचारी को आपराधिक अपराध में शामिल किया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण आपराधिक अपराध की इस तरह की शुरुआत का संज्ञान लेते हुए, एक कर्मचारी के पद को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए विभागीय कार्यवाही के साथ आगे बढ़ता है। यदि अपराध गंभीर प्रकृति का है, जो किसी कर्मचारी की ईमानदारी/चरित्र को प्रभावित कर सकता है, तो विभाग कर्मचारी को तुरंत निलंबित कर देता है और आगे की विभागीय कार्यवाही शुरू करता है।

(19) ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही शुरू करने और जल्दी समाप्त करने का कारण तीन गुना प्रतीत होता है:

(i) एक ऐसे कर्मचारी को बाहर निकालना जिसकी ईमानदारी/चरित्र पर संदेह किया गया है, प्रथमदृष्टया, उसके खिलाफ कुछ आपराधिक कार्यवाही शुरू किए जाने के कारण।

(ii) उसी समय, जब किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, तो वह उस वेतन का कम से कम आधा पाने का हकदार होता है जो निलंबित किए जाने से पहले और इस प्रकार, विभागीय कार्यवाही के समापन में कोई भी अत्यधिक देरी, जहां आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, अनावश्यक रूप से सरकारी खजाने पर बोझ डालेंगे और इस प्रकार सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा।

(iii) विभागीय कार्यवाहियों का उद्देश्य लोक सेवा की सेवा और दक्षता में अनुशासन बनाए रखना है और इस प्रकार, इसकी शुरुआत और निष्कर्ष यथासंभव शीघ्रता से लोक हित में है।

(20) वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि चालान वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया गया था और 31.01.2020 (पी-11) पर आरोप बनाए गए थे, हालांकि आज तक किसी न किसी कारण से आपराधिक मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। हालाँकि, आपराधिक मुकदमे में देरी का श्रेय याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता है, साथ ही, विभाग से मुकदमे के लिए अंतहीन प्रतीक्षा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जैसा कि कैप्टन एम. पॉल एंथनी का मामला (ऊपर) में आयोजित किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ जो आरोप बनाए गए हैं, वे इस तथ्य पर आधारित हैं कि एचसीएस (न्यायिक शाखा)-2017 का प्रश्न पत्र लीक हो गया था याचिकाकर्ता द्वारा सुनीता नाम की एक महिला के साथ अपनी घनिष्ठता के कारण ऐसा किया गया था, जिसने बदले में डेढ़ करोड़ रुपये में इसे अन्य सह-अभियुक्तों को दे दिया था, जिसके कारण शिकायतकर्ता द्वारा डेढ़ करोड़ रुपये की राशि का विभाजन किया गया था। इन आरोपों के कारण भा.दं.सं. की खंड 409,420,120-बी, 201 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 8,9,13 (1) (डी) के साथ 13 (2) के तहत आरोप तय किए गए थे। याचिकाकर्ता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का पद धारण करने वाले न्यायिक अधिकारी होने के नाते और पंजीयक (भर्ती) के रूप में तैनात होने के लिए औचित्य के साथ-साथ नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों की आवश्यकता थी। दस्तावेजी सबूतों में से एक जो रिकॉर्ड में आया है, वह याचिकाकर्ता-डॉ. बलविंदर शर्मा के कॉल विवरण रिकॉर्ड के माध्यम से है, जिसमें उनके और आरोपी-सुनीता के बीच 726 और 34 कॉल/एस. एम. एस. किए गए हैं, जो संयोग से एच. सी. एस. (न्यायिक) प्रारंभिक परीक्षा में टॉपर थीं। यह प्रथमदृष्टया उस आचरण को दर्शाता है जो याचिकाकर्ता-डॉ. बलविंदर शर्मा के पद पर आचरण नहीं कर रहा था।

(21) हमने केवल एक ऐसे पहलू पर प्रकाश डाला है जो विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए दिनांक 06.11.2019 (पी-9) के विवादित आदेश के माध्यम से लिए गए निर्णय के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए हमारे चेहरे पर चमक रहा है। हम इस मुद्दे पर और अधिक विचार करने और अधिक टिप्पणियां करने से बचना चाहते हैं, ऐसा न हो कि यह आपराधिक मुकदमे के दौरान या अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

(22) इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भा.दं.सं. सी. की धारा 409, 420, 120-बी और 201 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इस दौरान एस. आई. टी. द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। पेपर कैसे लीक हुआ और जिस तरह से इसे अभियोजन/विभाग को साबित करने के लिए आगे प्रदान किया गया था, जो अन्यथा आरोपी की विशेष जानकारी में है। इसलिए, विभागीय कार्यवाही में बचाव के किसी भी प्रकटीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।जहाँ तक भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों का संबंध है, "आय के ज्ञात स्रोतों" से संबंधित प्रावधान को छोड़कर अधिकांश प्रावधानों को मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना है, जो फिर से अभियुक्त-याचिकाकर्ता के विशेष ज्ञान में है। इसलिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है।

(23) इसके अलावा, आरोप के अनुच्छेदों के आरोप 4 से पता चलता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने कर्मचारी पर अनैतिक आचरण का भी आरोप लगाया है और इस तरह सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1966, पंजाब का उल्लंघन किया है क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि उसने सुश्री सुनीता के साथ अंतरंग संबंध विकसित किए थे। इसके अलावा, याचिकाकर्ता पर न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा के अनुसार आत्यन्तिक सत्यनिष्ठा बनाए रखने में विफल रहने का भी आरोप लगाया गया है और इस प्रकार उसने न्यायिक अधिकारी के लिए अनुपयुक्त तरीके से काम किया है। इन आरोपों को, किसी भी तरह की कल्पना से, आपराधिक न्यायालय द्वारा दर्ज या पूछताछ या दंडित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस दृष्टिकोण से भी, हम याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

(24) एक अन्य कारक जिसने हमारे दिमाग पर भार डाला है, वह है आपराधिक मामले के निपटारे में आपराधिक न्यायालय द्वारा अत्यधिक देरी। प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2017 की है, चालान वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया गया और जनवरी, 2020 में आरोप तय किया गया। हम 2021 में हैं और मामले में बहुत कम प्रगति होती दिख रही है। जैसा कि कैप्टन एम. पॉल एंथनी (सुप्रा),के मामले में हुआ था जहां किसी आपराधिक मामले के निपटारे में देरी होती है, विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। यदि अंततः कर्मचारी आपराधिक मुकदमे में दोषी नहीं पाया जाता है, तो उसका सम्मान सही साबित हो सकता है और यदि वह दोषी पाया जाता है, तो नियोक्ता के जल्द से जल्द अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से उससे छुटकारा पाने के निर्णय का समर्थन किया जाता है। किसी भी मामले में, आपराधिक मुकदमे और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सबूत का बोझ और आरोप साबित करने का तरीका अलग-अलग होता है। याचिकाकर्ता निलंबन के तहत एक कर्मचारी होने के नाते वेतन प्राप्त कर रहा है और आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए किसी भी न्यायालय के लिए यह न तो वांछनीय है और न ही सलाह दी जाती है कि वह किसी नियोक्ता को एक कर्मचारी को भुगतान जारी रखने के लिए मजबूर करे जो प्रतिष्ठान विभागीय कार्यवाही के समापन को रोककर इसे जारी रखना उचित समझते हैं।

(25) यद्यपि याचिकाकर्ता के वकील ने नीलम नाग के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है कि विभागीय कार्यवाही जारी रखने के बजाय आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन हमारा विचार है कि निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। उक्त मामले में, नीलम नाग एक बैंक की कर्मचारी थी और 10.04.2002 दिनांकित एक समझौता ज्ञापन था जो आपराधिक मामले में मुकदमा पूरा होने तक बैंक के कर्मचारियों को आवश्यक विभागीय कार्यवाही से बचाता था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत को एक वर्ष के भीतर मुकदमे का फैसला करने का निर्देश दिया और प्रतिवादी को जल्द निपटारे के लिए निचली अदालत को पूरा सहयोग देना था और यदि मुकदमा एक वर्ष के भीतर पूरा नहीं होता है, तो प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जांच अधिकारी द्वारा फिर से शुरू की जाएगी। वर्तमान मामले में पक्षों के बीच ऐसा कोई ज्ञापन मौजूद होने का अनुरोध नहीं किया गया है।

(26) इसी तरह, स्टेनजेन मामले (उपरोक्त) का निर्णय भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुशासनात्मक और विभागीय कार्यवाही एक साथ करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है, हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नीचे दिए गए तीनों न्यायालयों ने चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग किया था, इसलिए, मुकदमे के शीघ्र समापन के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

(27) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम तत्काल रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, इसलिए, इसे खारिज करने का आदेश दिया जाता है।

ऋतंभ्र ऋषि

1 2007 (4) SCT 423

2 (2015) 6 आर. सी. आर. (सिविल) 723

प्रदीप कुमार, अनुवादक

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।